न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू (राँची)

वाद सं०–MP 74/2017

धारा–144 दण्ड प्रक्रिया संहिता

मोसमात विलासी देवी .....प्रथम पक्ष

बनाम

विष्टु महतो वगैरह.....द्वितीय पक्ष

	आदेश	
23.01.18	प्रस्तुत वाद थाना प्रभारी बुण्डू के अप्राथमिकी सं0–05/2017 दिनांक 28.10.2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्न विवादित जमीन को उभय पक्ष में तनाव है। फलस्वरूप शांति भंग होने की संभावना बनी हुई है। थाना प्रभारी ने दोनों पक्षों के विरूद्ध धारा–144 द०प्र०सं० के तहत कार्यवाही प्रारंभ कर प्रतिबंधित करने हेतु अनुशंसा किया गया है। उभय पक्ष को अपना–अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।	

भूमि का विवरणी

मौजा–खुदीमदकम , थाना–बुण्डू जिला–राँची

खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा	चौहदी
68	398	2.67 ए0	

वाद में द्वितीय पक्ष के द्वारा आवेदन दिया गया है कि थाना प्रभारी बुण्डू के अप्राथमिकी सं0–05/2017 दिनांक 28/10/2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा– खुदीमदकम थाना– बुण्डू के खाता सं0–68 प्लॉट सं0–398 रकवा–2.67 ए0 जमीन पर विवाद बताया गया है। परन्तु आर0 एस0 खतियान में प्लॉट सं0–398 में रकवा–94 डी0 जमीन है। वाद को खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्रथम पक्ष का प्रत्युत्तर

प्रथम पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा द्वितीय पक्ष के आवेदन के आलोक में अपने प्रत्युत्तर में निम्न उल्लेख किये हैं:–

1. प्रथम पक्ष के द्वारा द्वितीय पक्ष के आवेदन पर आपति किया गया है। प्रथम पक्ष के द्वारा निम्न जमीन को विवादित बताया गया है:–

भूमि का विवरणी

मौजा–खुदीमदकम , थाना–बुण्डू जिला–राँची

खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा	चौहदी
68	393	0.15 ए0	
	394	0.36 ए0	
	398	0.47 ए0	
	391	0.33 ए0	
	392	0.65 ए0	
	392	0.71 ए0	

2. यह है कि प्रथम पक्ष के पति रामधन पातर ने द्वितीय पक्ष के कमांक–07 सृष्टीधर महतो के विरूद्ध धारा–71 'ए' छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दायर किया था। जिसमें आवेदक के पक्ष में फैसला हुआ। जिसका वाद सं0–281/79–80, टी0 आर0 सं0–23/79–80 आदेश दिनांक 13/09/80 है। आदेश के आलोक में अंचल अधिकारी के द्वारा 25.05.1987 ई0 को आवेदक रामधन पातर को जमीन वापस दिलाया एवं दखल में आये।

23.01.18

3. यह है कि द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रथम पक्ष के दखल जमीन को जबरजोस्ती कबजा करना चाहते है। प्रथम पक्ष के द्वारा जमीनदार को लगातार मालगुजारी देते आ रहे है।

4. यह है कि द्वितीय पक्ष के द्वारा माननीय ,उच्च न्यायालय पटना शाखा राँची के न्यायालय में वाद दायर किया। जिसका वाद सं0–C.W.J.C. NO- 914/1986 (R) सृष्टीधर महतो एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य के बीच मुकदमा चला था। जो दिनांक 23.10.1986 ई0 को खारिज किया गया।

5. यह है कि प्रथम पक्ष के द्वारा बताया गया विवाद जमीन को लेकर द्वितीय पक्ष के हाथों ही शांति भंग होने की संभावना बनी हुई है। उन्होने द0 प्र0 सं0 की धारा–144 के तहत कार्यवाही प्रारंभ कर प्रथम पक्ष के हित में रिक्त एवं इसी नियम पर द्वितीय पक्ष के विरूद्ध प्रतिबंधित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रथम पक्ष के प्रत्युत्तर पर आपति किया गया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विवादित जमीन को लेकर द0 प्र0सं0 की धारा–144 के तहत कार्यवाही प्रारंभ करने को लेकर बहस को सुनने, पुलिस प्रतिवेदन एवं दाखिल किये गये कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित जमीन मौजा– खुदीमदकम थाना– बुण्डू के खाता सं0–68 प्लॉट सं0–398 रकवा–2.67 ए0 को लेकर उभय पक्ष में विवाद बताया गया है। जबकि आर0 एस0 खतियान के अनुसार मौजा– खुदीमदकम थाना– बुण्डू के खाता सं0–68 प्लॉट सं0–398 रकवा–94 डी0 जमीन अंकित है। विवादी जमीन को लेकर को लेकर द0 प्र0 सं0 की धारा– 144 के तहत कार्यवाही प्रारंभ कर आदेश पारित करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतएव वाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

23/01/18
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बुण्डू(राँची)

23/01/18
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बुण्डू(राँची)

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2023.03.18 11:26:33 +05:30
Location: 10.93.79.10